

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल,

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

144

प्र. क्र. निगरानी/2/2012

R-2540-2/12

R-2540-2/12

केदारसिंह पुत्र श्री रामरूपसिंह निवासी चौहान प्याऊ के पीछे शिवाजीनगर टाटीपुर ग्वालियर म0प्र0प्रार्थी बनाम

1. श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नी स्व० श्री रामरूपसिंह निवासी ग्राम बकनासा पोस्ट लाला का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्डप्रतिप्रार्थी
2. हरीसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह
4. गजेन्द्रसिंह पुत्रगण रामरूपसिंह निवासी ग्राम बकनासा पोस्ट लाला का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड.फॉरमल प्रतिप्रार्थीगण

श्री शांतिदेवी शिवाजीनगर, काटी

द्वारा आज 9-8-12

प्रस्तुत

क

9-8-12

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक-38/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1-

यह कि, ग्राम बकनासा तहसील गोहद जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 403 रकवा 0.440 हे0, सर्वे क्रमांक 448 रकवा 0.448, सर्वे क्रमांक 471 रकवा 0.480, सर्वे क्रमांक 553 रकवा 0.160 हे0, सर्वे क्रमांक 765 रकवा 0.240 हे0, सर्वे क्रमांक 927 रकवा 0.290 हे0, सर्वे क्रमांक 983 रकवा 0.190 हे0, सर्वे क्रमांक 1021 रकवा 0.630 हे0, सर्वे क्रमांक 1064 रकवा 0.120 हे0, सर्वे क्रमांक 1096 रकवा 0.260 हे0, सर्वे क्रमांक 1284 रकवा 1.040 हे0, सर्वे क्रमांक 1304/1192 रकवा 0.230 हे0 भूमि के रामरूपसिंह तौमर पुत्र श्री शंकरसिंह अभिलिखित भूमि स्वामी से उनकी मृत्यु दिनांक 17.01.2008 को हो गयी थी उसके उपरांत प्रार्थी अपना तथा अपनी माँ श्रीमती शांतिदेवी, हरीसिंह, सुरेन्द्रसिंह, गजेन्द्रसिंह, के नाम से मृतक रामरूप सिंह के वैध वारिस व उत्तराधिकारी होने के आधार पर ग्राम पंचायत बकनासा में नामांतरण कराये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं प्रार्थी की माँ हरीसिंह, सुरेन्द्रसिंह गजेन्द्रसिंह का नामांतरण स्वीकार किया उक्त नामांतरण कार्यवाही की जानकारी प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 को उसी समय से थी जब से उक्त भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण स्वीकार हुआ परन्तु उसके द्वारा उक्त नामांतरण आदेश को निर्धारित समया-अवधि में कोई चुनौती नहीं दी प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 द्वारा बकनासा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने के उद्देश्य से उसके द्वारा दिनांक 06.04.2010 को नामांतरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जबकि रामरूप की मृत्यु दिनांक 17.01.2008 को हो चुकी यदि प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 मृतक रामरूप सिंह की वैध वारिस व उत्तराधिकारी होती तो निर्धारित समया-अवधि में कार्यवाही करती प्रतिप्रार्थी क्रमांक-1 ने समया-अवधि

श्रीमान जी
9/8/12

R
2/12

